

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक- एफ 2 (ग) (एसीपी)/1981-III/अलेसे-II/ 1152-53

दिनांक- 28.07.2011

कार्यालय आदेश संख्या 85/2011-12

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प. 11 (7) एफडी/रूल्स/2008/दिनांक 12.09.08 एवं दिनांक 06.10.08 एवं वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ-14(88)एफडी(नियम) 2008-। दिनांक 31.12.09 के अनुसरण में श्री कमल किशोर कालानी, लेखाकार जिनकी जन्मतिथि 15.07.1957 है तथा जिन्होंने कनिष्ठ लेखाकार के पद पर सीधी भर्ती परीक्षा उत्तीर्ण कर दिनांक 23.01.1984 को कार्यग्रहण किया था। इन्होंने 27 वर्ष की राजकीय सेवा निरन्तर एवं सन्तोषजनक पूर्ण कर ली है, को दिनांक 23.01.2011 से कनिष्ठ लेखाकार के पद का तृतीय एसीपी पीबी-2, 8300-34800 पे-बैंड एवं रुपये 4800 ग्रेड पे में स्वीकृत किया जाता है।

श्री कमल किशोर कालानी, लेखाकार के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन एवं वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ. 14 (88) एफडी (नियम) 2008-। दिनांक 31.12.09 में दी हुई शर्तों के सम्बन्ध में संतोषजनक सेवा सम्बन्धी प्रमाण पत्र व सन्तान सम्बन्धी घोषणा प्राप्ति के आधार पर एसीपी स्वीकृत किया जाता है।

श्री कमल किशोर कालानी, लेखाकार का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के उक्त आदेश दिनांक 12.09.2008 के पैरा 19, आदेश दिनांक 06.10.2008 एवं एफ-14(88)एफडी(नियम) 2008-। दिनांक 31.12.09 के अनुसार सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जायेगा। इस स्वीकृति व वेतन निर्धारण की प्रविष्टि आवश्यक रूप से सम्बन्धित लेखाकार की सेवापुस्तिका में की जाये। वेतन निर्धारण से पूर्व सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि सम्बन्धित लेखाकार एसीपी स्वीकृत तिथि को राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) 2008 में ग्रेड पे 4200/- प्राप्त कर रहे है।

निदेशक

क्रमांक- एफ 2 (ग) (एसीपी)/1981-III/अलेसे-II/ 1152-53

दिनांक- 28.07.2011

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष जिला कलेक्टर अजमेर।
2. श्री कमल किशोर कालानी, लेखाकार, कार्यालय जिला कलेक्टर अजमेर।
3. निजी सहायक निदेशक महोदय।
4. निजी पत्रावली/गार्ड फाईल/गोपनीय अनुभाग/कम्प्यूटर अनुभाग (फ्लैबसाईट हेतु)।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक- I)